"मज़बूत लोकतन्त्र–सबकी भागीदारी"

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्याः **5-15/2014-ईएलएन** –499. दिनांकः 15 मार्च, **2021**

कार्यालय आदेश

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के रिक्त पदों के विपरीत 8910/- रूपए (पे बैंड के न्यूनतम 5910/- जमा ग्रेड पे 3000/-) जमा 4500/- रूपए (ग्रेड पे 3000/- की 150% राशि), कुल मुबलिग 13410/- रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम में सर्वप्रथम एक वर्ष की अवधि के लिए इनके नामों के सामने दर्शाए गए कार्यालयों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत निर्वाचन कानूनगो के पदों के विपरीत अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है:–

S. N.	Name and Address	Place of Posting
1.	Ms. Prerna Mehta D/o Sh. Yashwant Mehta R/o Om Bhawan, 5th Floor, Below Panta Building, Bhagwati Nagar, Lower Khalini, Shimla(HP)-9	Sub Divisional Election Office, Chopal, District Shimla. (for 60-Chopal AC) (Against Vacancy)
2.	Sh. Chander Kant S/o Sh. Prakash Chand R/o The Green Acres, Kamla Nagar, P.O. Bhatta, Tehsil and District Shimla(HP)-171006	Sub Divisional Election Office, Lahaul at Keylong. (for 21-Lahaul-Spiti (ST) AC) (Against Vacancy)
3.	Ms. Naveen Thakur D/o Sh. Sobha Ram Thakur C/o Gaurav Sharma, Sumra Gongma House, First Floor, Sector-1, Lane-4, New Shimla(HP)-171009	Sub Divisional Election Office, Sadar, District Mandi. (for 33-Mandi AC) (Against Vacancy)
4.	Ms. Meena Kumari D/o Sh. Puran Chand R/o Village Bahru, P.O. Sadhot, Tehsil Sarkaghat, District Mandi(HP)-175037	Sub Divisional Election Office, Dharampur, District Mandi. (for 32-Dharampur AC) (Against Vacancy)
5.	Ms. Poonam Verma D/o Sh. Jwala Prasad R/o Village Salah, 343/4, P.O. Sundernagar-I, Tehsil Sundernagar, District Mandi(HP)-175018	Sub Divisional Election Office, Balh at Ner Chowk, District Mandi. (for 34-Balh (SC) AC) (Against Vacancy)
6.	Sh. Aditya Sharma S/o Sh. N.G. Sharma R/o 4/2 Boileauganj, Shimla(Urban),District Shimla(HP)-5	Sub Divisional Election Office, Padhar, District Mandi. (for 30-Darang AC) (Against Vacancy)
7.	Sh. Anish Sharma S/o Sh. Swroop Chand R/o Village Sugal, Tehsil Barsar, District Hamirpur(HP)-176040	Sub Divisional Election Office, Haroli, District Una. (for 43-Haroli AC) (Against Vacancy)
8.	Sh. Dikshit Rana S/o Sh. Jagdish Raj Rana R/o Village Banderu, PO Nane, Tehsil Jwali, District kangra(HP)-176023	Sub Divisional Election Office, Fatehpur, District Kangra. (for 8-Fatehpur AC) (Against Vacancy)

9.	Sh. Ajay Sharma S/o Sh. Dharam Chand Sharma R/o VPO Balana, Tehsil Sihunta, District Chamba(HP)-176207	Sub Divisional Election Office, Bharmour. (for 2-Bharmour (ST) AC) (Against Vacancy)
10.	Sh. Sukh Dev S/o Sh. Sada Nand R/o VPO R/o VPO Kotla Molar, Tehsil Dadahu, District Sirmour(HP)-173001	Sub Divisional Election Office, Shillai, District Sirmour. (for 59-Shillai AC) (Against Vacancy)
11.	Sh. Ansul Kaundal S/o Sh. Ramesh Chand R/o mansa Bhawan, Lower Totu, Tehsil and District Shimla(HP)-171011	Sub Divisional Election Office, Swarghat, District Bilaspur. (for 49-Sri Naina Deviji AC) (Against Vacancy)
12.	Sh. Sachin S/o Sh. Johan Singh R/o Village Longni, PO Chhainchhari, Tehsil Palampur, District Kangra (HP)-176086	Sub Divisional Election Office, Churah at Tissa. (for 1-Churah (SC) AC) (Against Vacancy)
13.	Sh. Rishant S/o Sh. Ram Krishan R/o Village Parain, PO Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla(HP)-171222	Sub-Divisional Election Office, Kaza, District Lahaul & Spiti. (for 21-Lahaul-Spiti (ST) AC) (Against Vacancy)
14.	Sh. Harsh S/o Sh. Parshotam Lal Sharma R/o House No.65, Ward No.1, Hira Nagar, PO, Tehsil & District Hamirpur(HP)-177001	Sub Divisional Election Office, Jaisinghpur, District Kangra. (for 13-Jaisinghpur (SC) AC) (Against Vacancy)
15.	Sh. Arpit Dhiman S//o Sh. Joga Singh Dhiman R/o House No.3, N-1, Type-3, PWD Colony, Near Gurukul School, Dharamshala, District Kangra(HP)-176215	Sub Divisional Election Office, Shahpur, District Kangra. (for 17-Shahpur AC) (Against Vacancy)
16.	Sh. Rajat Bushesheri S/o Sh. Tej Ram Busheheri, Jubbal House (Type-IV), Near Durga Gas Agency, Sanjauli, Shimla(HP)-171006	Sub Divisional Election Office, Thunag, District Mandi. (for 29-Seraj AC) (Against Vacancy)
17.	Sh. Manoj Kumar Chauhan S/o Sh. Yogender Chauhan, Old Housing Board Colony, Set No.9, Type-III, Tehsil Nahan, District Sirmour(HP)-173001	Sub Divisional Election Office, Pachhad at Sarahan, District Sirmour (For 55-Pachhad (SC) AC) (Against Vacancy)
18.	Sh. Robin Dhiman S/o Sh. Sushil Kumar R/o VPO Sidhpurghar, Tehsil Jwali, District Kangra(HP)-176021	Sub Divisional Election Office, Indora, District Kangra. (for 7-Indora (SC) AC) (Against Vacancy)
19.	Sh. Rahul S/o Sh. Solan Lal R/o VPO Arsu, Tehsil Nirmand, District Kullu(HP)-172002	Sub Divisional Election Office, Banjar, District Kullu. (for 24-Banjar AC) (Against Vacancy)
20.	Ms. Manisha Kumari D/o Sh. Jaswant Singh Dhiman R/o Village Delag(Bhadrog), PO Naswal, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur(HP)-174021	Sub Divisional Election Office, Ghumarwin, District Bilaspur. (for 47-Ghumarwin AC) (Against Vacancy)

नियुक्ति की अन्य निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी :–

1. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/- रूपए (पे बैंड के न्यूनतम 5910/- जमा ग्रेड पे 3000/-) जमा 4500/- रूपए (ग्रेड पे 3000/- की 150% राशि), कुल मुबलिग 13410/- रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

4. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

5. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां भी पशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक अस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो

वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

8. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
9. अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसकी एक से अधिक पत्नियां नहीं है।
10. भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
11. अभ्यर्थी को निर्वाचन कानूनगो के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता व आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
12. संविदा नियुक्ति अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
13. इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
14. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुई तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
15. अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् संलग्न प्रपत्र **अनुबन्ध–''क''** पर सरकार के साथ करार हस्ताक्षरित करना होगा।

यदि उक्त अभ्यर्थियों को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तो पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वे इन आदशों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में वांछित प्रमाण–पत्रों सहित निर्वाचन कानूनगो के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् यह नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः 5-15/2014-ईएलएन –499. **दिनांकः** 15 **मार्च, 2021**
प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला, कुल्लू, मण्डी, ऊना, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, चम्बा, सिरमौर स्थित नाहन, बिलासपुर व लाहौल–स्पिति स्थित केलंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए कार्यालयों में निर्वाचन कानूनगो के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग द्वारा पूर्व में प्रदाय किए गए निर्धारित प्रपत्र पर सभी दस्तावेज़ों सहित भेजने की कृपा करें। उक्त अनुबन्धित कर्मचारियों का वेतन लेखा शीर्ष ''2015–निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत–सून–102–निर्वाचन अधिकारी–01–मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उनके कर्मचारी वर्ग तथा 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–01–मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग पर व्यय के मानक ''वेतन'' के अधीन उक्त कार्यालयों हेतु निर्वाचन कानूनगो के स्वीकृत पदों के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्याः 3-6/2019-PSC(Exam)-Vol.II, दिनांक 10-02-2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), चौपाल, लाहौल स्थित केलंग, सदर मण्डी, धर्मपुर, बल्ह स्थित नेर चौक, पधर, हरोली, फतेहपुर, भरमौर, शिलाई, स्वारघाट, चुराह स्थित तीसा, काजा, जयसिंहपुर, शाहपुर, थुनाग, पच्छाद स्थित सरांह, इन्दौरा, बन्जार व घुमारवीं को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थियों के सभी वांछित प्रमाण–पत्रों इत्यादि की पूर्णतः जांच करने के उपरान्त निर्वाचन कानूनगो के पद पर कार्यभार ग्रहण

सूचना स्वीकार करें तथा संलग्न प्रपत्र पर दिए गए नमूने के आधार पर अभ्यर्थी के साथ तीन या पांच रूपए के नॉन–ज्यूडिशियल पेपर पर विभाग के साथ निष्पादित की जाने वाली संविदा करार गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित करवाने के पश्चात् इसे प्रतिहस्ताक्षरित करके मूल रूप में नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षरार्थ कार्यभार ग्रहण सूचना सहित इस विभाग को भेजें।

4. जिला कोषधिकारी, शिमला, कुल्लू, मण्डी, सोलन, ऊना, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, चम्बा, सिरमौर स्थित नाहन, बिलासपुर व लाहौल–स्पिति स्थित केलंग को सूचनार्थ।
5. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।
6. निजी संचिकाओं के लिए।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

उपाबन्ध–''क''

निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री..पुत्र श्री.. निवासी... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने .... के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार .... के रूप में...से प्रारम्भ होने और ....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.. रूपए प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान(समापन) आदेशय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विषेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक अस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन मास व वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

<u>साक्षियों की उपस्थिति में:–</u>

1 ....

....

....

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1 ....

....

.... (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(नाम व पूरा पता)